बेरोजगारी के कारण क्या है?—

भारत मे बेरोजगारी की स्थीति अत्यंत गंभीर है। यह विकास को अवरुद्ध करता है। भारत मे बेरोजगारी के कारण निम्नलिखित है:—

(i) धीमा आर्थिक विकास
(ii) जनसंख्या मे तीव्र वृद्धि
(iii) कम बचत तथा निवेश
(iv) कृषि एक मौसमी व्यवसाय
(v) कुटीर तथा लघु उद्योगो का पतन
(vi) सयुक्त परिवार प्रणाली
(vii) नई तकनीको के प्रयोग का अभाव
(viii) शिक्षा प्रणाली मे दोष

★ बेरोजगारी के आर्थिक और सामाजिक परिणाम :—

★ आर्थिक परिणाम :—

a) मानव शक्ति का अप्रयोग :— जिस सिमा तक देश मे लोग बेरोजगार रहते है, उस सीमा तक देश मे मानवीय साधनो का प्रयोग नही हो पाता है।

b) उत्पादन की कमी :— जिस सीमा तक मानव शक्ति प्रयोग नही हो पाता है, उस सीमा तक उत्पादन की हानि होती है।

c) पूंजी निर्माण मे गिरावट :— बेरोजगार व्यक्ति निवेश पूंजी मे वृद्धि के लिए कुछ भी आधिक्य का प्रबन्ध नही करते इससे पूंजी निर्माण की दर की क्षति होती है।

d) कम उत्पादकता :— निम्न उत्पादकता का अर्थ है भावी विकास के लिए उत्पादन से कम आधिक्य की प्राप्ति।

★ सामाजिक परिणाम :

a) जीवन की निम्न गुणवता :— बेरोजगारी जीवन की गुणवता को कम कर देती है।

Scanned with CamScanner

b) अत्यधिक असमानता :— बेरोजगारी की मात्रा जितनी अधिक होगी, आय तथा सम्पत्ति के वितरण में असमानता की मात्रा भी अधिक होगी।

c) सामाजिक अशांति :— ~~असमंती~~ अशांति और आतंकवाद को कई अन्य तत्वों से प्रेरणा मिलती है परंतु बेरोजगारी एक कष्टप्रद भूमिका के रूप में अनदेखी नहीं की जा सकती है।

d) वर्ग संघर्ष — बेरोजगारी को हम समाज में है और नहीं है बांट देती है। इसके परिणामस्वरूप को संघर्ष जन्म लेता है। जो सामाजिक अशांति को और भी बढ़ावा देती है।

★ बेरोजगारी दूर करने के उपाय

i) उत्पादन में वृद्धि
ii) पूंजी निर्माण की ऊंची दर
iii) छोटे और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन
iv) स्वरोजगार में लगे लोगों को अधिक सहायता
v) शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन
vi) औद्योगिक तकनीक में परिवर्तन
vii) जनसंख्या पर नियंत्रण

★ बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये कार्यक्रम :

a) जवाहर रोजगार योजना :— 28 April, 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर इस योजना के अधीन कर दिया गया है।

b) रोजगार आश्वासन योजना :— 2 oct 1993 को 1,772 पिछड़े विकास खण्डों में आरंभ की गई थी। ये विकास खण्ड सूखा ग्रस्त, रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में थे। बाद में इस रोजगार कार्यक्रम का विस्तार सभी 5,448 ग्रामीण विकास खण्डों में किया गया।

Scanned with CamScanner

(c) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :— जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर 1 सितम्बर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण योजना का गठन किया गया। केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस योजना के लागत को क्र. 87.5:12.5 में वहन करती है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न है।

- ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना
- सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक आधारित संरचना का निर्माण करना
- इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लागू करने का प्रावधान है।

(d) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :— इस योजना का आरंभ 1 December 1997 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी बेरोजगारी तथा अल्परोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का 75% खर्च केंद्र सरकार तथा 25% खर्च राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

(e) जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना इस योजना की शुरुआत में की गई। इसका उद्देश्य देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में 2002-03 में गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

(f) प्रधानमंत्री रोजगार योजना :— इस योजना का आरंभ 18 Nov 1993 को किया गया। इस योजना के द्वारा 50,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

Scanned with CamScanner

(g) महिला स्वयं सिद्धा योजना :— इस योजना की शुरूआत 12 July 1995 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण करना है।

(h) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना → इस योजना को 2 feb 2006 में लागू किया गया। इस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन काम की कानूनी गारण्टी देने की व्यवस्था की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क ~~व्यक्ति~~ व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करना है।

i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :— प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय करके 15 August 2008 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का गठन किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

- लाभार्थियों द्वारा परियोजना के चुनाव हेतु प्रोजेक्ट प्रोफाइल प्रदान की जाएगी।
- सूचना प्रकार प्रोजेक्ट का निर्माण इसके अंतर्गत दो से तीन सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण एवं विपणन सहयोग लाभार्थियों के आवेदनों की इलेक्ट्रानिक ट्रैकिंग, बैकवर्ड एवं फार्वर्ड पैकेज सहायता के प्रावधान किये गये हैं।
- उद्यमियों हेतु कोलेटरल (बंधक) सुरक्षा मुक्त ऋण प्राप्ति में सहायता के लिए क्रेडिट गारण्टी फण्ड योजना से जोड़ना।
- 10 लाख रु० से अधिक की उत्पादन परियोजनाओं तथा 5 लाख रु० से अधिक के व्यापार।
- समग्र विकास हेतु समाज के वंचित वर्ग के लिए ज्यादा सहायता।

— x —